राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार

भूमि एवं भवन विभाग

विकास भवन, नई दिल्ली

विधानसभा अतारांकित प्रश्न सं. : 381

दिनांक : 22.3.2013

प्रश्नकर्ता : श्री सतप्रकाश राणा, माननीय विधायक

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा जिन व्यक्तियों की कृषि भूमि अधिग्रहण की जाती है, उन सभी को वैकल्पिक प्लॉटों का आबंटन किया जाता है ;	जी हॉ । उन सभी व्यक्तियों को जो भूमि एवं भवन विभाग द्वारा जारी की गई पात्रता की शर्तो को पूरा करते हैं, को वेकल्पिक भूखण्डों का आबंटन किया जाता है ।
ख	यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 1972 में अवार्ड संख्या 30/1972–73 व 2182 बी दिनांक 31.03.1972 में जिन व्यक्तियों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनको वैकल्पिक प्लाटों के आबंटन के लिए समय–समय पर समाचारपत्रों के माध्यम से वर्ष 30.04.1989 तक आवेदन करने के लिए कहा गया था ;	जी नहीं । दिनांक 30.4.1989 तक की समय सीमा भूमि एवं भवन विभाग द्वारा दिनांक 20.3.1989 को प्रकाशित की गई सार्वजनिक सूचना के द्वारा उन सभी व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए दी गई थी जिनके अधिग्रहण की कार्यवाही दि0 16.11.63 से दि0 31.12.88 के बीच सम्पन्न हुई थी । परन्तु इसके तहत सिर्फ वही व्यक्ति आवेदन करने के पात्र थे जिन्होंने पहले आवेदन न किया हो और वे स्वयं उस भूमि के प्रमाणिक स्वामी (रिकार्डिड ओनर) हों ।
ग	यदि हां, तो किसी व्यक्ति ने उपरोक्त अवधि के दौरान ही वर्ष 1987 में वैकल्पिक प्लाट के आबंटन के लिये आवेदन किया हो तो विभाग उसके आवेदन पर विचार नहीं करेगा; और	तदैव
घ	यदि सरकार द्वारा जिस व्यक्ति की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उस व्यक्ति के ही वंश से उसका पौत्र अपने दादा व पिता की मृत्यु के पश्चात् वैकल्पिक प्लाट के लिये आवेदन करता है तो क्या वह व्यक्ति कानूनी तौर पर वैकल्पिक प्लाट का हकदार होगा, जबकि वह व्यक्ति सरकार द्वारा दी गई उपरोक्त अवधि में ही सरकार की नीति के अनुसार आवेदन कर चुका है ?	किसी भी भूमि के प्रमाणिक स्वामी के निधन के बाद उसके सभी वंशज सम्मिलित रूप से वैकल्पिक भूखण्ड पाने के हकदार होते हैं यदि वो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं ।